

21/2/25

वदीनीगण मय वकील ने एक प्रार्थना पत्र पत्रावली आज पेशी पर लेने का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेश हुई। वादीनीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र वाद में वर्णित आंशिक रकबा को छोड़कर शेष आराजी के प्रतिवादीगण से राजीनामा हो जाने से खेत खसरा संख्या 1403/1261 में वादीनीगण ने अपना हक परित्याग करने से इन प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। न ही उक्त आराजी में अपना हक हिस्सा लेना चाहते हैं क्यों कि प्रतिवादीगण ने वादीनी गण को उनके हक हिस्से के प्रति संतुष्ट कर दिया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विद्धो करने बाबत् प्रस्तुत किया है जिसमें वादीनीगण द्वारा उक्त वाद में वर्णित खसरा संख्या 1359/769 को छोड़कर शेष सभी खसरों में राजीनामा हो जाने से वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। तथा इस खसरे में यानि खसरा संख्या 1359/769 में नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ शेष सभी खेतों के खसरों में अपना वाद जरिये विद्धो खारिज करवाना चाहती है। मैंने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। चूंकी वाद प्रारंभिक स्टेज पर है जिसमें जरिये राजीनाम उभय पक्ष में से किसी को कोई आपति नहीं है। लिहाजा वादीनीगण को वाद विद्धो की अनुमति इस लिहाज के साथ दी जाती है कि वादीनीगण ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी खसरा संख्या 1359/769 में नया वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगी। उक्त वाद इसी स्टेज पर जरिये राजीनामा विद्धो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क  
SDO धोरीमना

